विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा

की

वर्ष 1985-86

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

545502
370.6
HAR-V

प्रकाशक :
निदेशक, विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़ ।

विषय-सूची

क्र0 सं0	अध्याय-शीर्षक	पृष्ठ संख्या
	समीक्षा (अंग्रेजी एव हिन्दी)	1-10
1.	शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन	11-14
2.	प्राथमिक शिक्षा	15-20
3.	माध्यमिक शिक्षा	21-28
4	प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा	29-36
5	शिक्षा सुधार कार्यक्रम	37-39
6	छात्रवृत्तियां तथा अन्य वित्तीय सहायता	40-42
7	विविध	43-50

NIEPA DC

D04500

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-6592
Date 6/11/92

REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT FOR THE YEAR 1985-86

There is the State Minister for Education. The Commissioner & Secretary for Education who is from I.A.S. Cadre, is assisted by two Joint Secretaries at secretariat level. The Director, school education heads the directorate. He is the controlling head of all the district education officers for implementation of Education Policies.

In the field there is a three tier system at district, sub-division and block level. The district education officers run the work of educational administration and inspection of each district. The sub-divisional offices under district education officers administrate and inspect High schools and middle schools. For primary Education there are offices of Block Education Officers.

The District adult education officers at district level run the educational and administrative work of adult education and non-formal education.

The expenditure on school education in 1985-86 was Rs. 12117.16 lakhs.

During the year 1985-86 the major educational tasks are discussed as under :--

Primary Education :

Education for the children of 6—11 age is available at walkable distance in the State. Free education is provided to the children of 6—11 age in all government primary schools. An amount of Rs. 55 lakhs was arranged to provide free stationery to the students of scheduled castes/weaker section of the society for more and more entry of children in the schools. An amount of Rs. 70.25 lakhs was arranged for providing free uniforms to scheduled castes girls. Attendance scholarships of Rs. 93.60 lakhs was given to Scheduled castes girls at the rate of Rs 10/- per girl per month Rs. [illegible] Lacs were sanctioned for buying the *Tat-Patti* in primary Schools. No [illegible] detained in first and second classes in the State. The [illegible] schools teachers held monthly meeting in established [illegible] centres for discussing teaching

problems with one-another. 99.78% boys and 71.52% girls of all person in the age group of 6—11 and 50.65% boys and 43.23 % girls belonging to scheduled castes are studying in the primary classes in the State.

100 new primary Schools were opened and 70 branch primary schools were upgraded to the full-fledged primary schools in the year 1985-86.

Secondary Education :

Free education is provided from 6th to 8th classes and scheduled castes girls of 9th to 12th classes in the Govt. schools of the State. Special coaching is given to the scheduled castes students of 9th to 11th classes in the subject of Mathematics, English and Science for three months every year so that dull students of scheduled castes can compete other students. 97 primary schools were upgraded to middle standard and 100 middle Schools were upgraded to high standard in 1985-86. Five high schools were granted permanent recognition and two schools were granted temporary recognition.

During the year 1985-86, 10+2 education system was started in the State This system was started in 152 schools and 106 colleges.

The percentage of school going children in the age group of 11—14 is 72.54 boys and 35.81 girls and 46.12 boys and 18.96 girls in the age group of 14—17 in the year 1985-86. The percentage of school going students belonging to scheduled castes is 57.82 boys and 17.97 girls in the age group of 11--14 and 30.77 boys and 6.80 girls in the age-group of 14—17.

75 percent amount of the deficit of school is given as grant to non-govt. schools. An amount of Rs. 306.25 Lacs for various grants was given to non-govt. recognised schools in 1985-86

Dual-Desk of Rs. one crore was purchased for students of middle/high/senior secondary schools

ADULT EDUCATION AND NON FORMAL EDUCATION

1. Adult Education :

Adult education programme was started at large scale on 2nd October, 1978. Earlier 998 centres of adult education were running in same district of the State. 5758 adult education centres

are functioning in 1985-86 in which 44088 men and 145339 women got literacy Since 1981-82 a Sharmik Vidya Peeth is functioning in Faridabad for providing education to the labourers.

2. Non-Formal Education

There is arrangement of non-formal education in the State for the children of 6 –11 age group who could not get school education due to family, economic, social and other reasons. 4842 centres of non-formal education were functioning in the year 1985-86 in which 47016 boys and 93210 girls received education. Free stationery and text-books were provided to students for encouragement.

During the year 1985-86 Rs. 71.17 Lacs were spent on non formal education.

Qualitative Improvement :

The subject of socially useful productive work has been made compulsory in secondary schools. This is the part and partial of new education policy. An amount of Rs. 1486.19 lakhs was sanctioned for repair/construction and maintenance of school buildings. Rs. 39 32 lakhs was sanctioned for constructioning of 33 residential houses and under NREP/RLEGP about 1285 rooms costing 131.66 lakhs were constructed from State Share in the Schools of rural areas.

A State council of Educational research and training has been set up for guidance of educational institutions, administrators connected with education and teachers through the activities of standarlization of education, method research, innovation study and training.

Other Programmes :

1 14 Units of D.Ed. training were provided to 5 JBT training institutions.

2 SCERT organised in service training for 2500 JBT teachers and 950 secondary teachers, Headmasters and block education officers. This training costed Rs. 2.27 Lacs.

3. The language of this state is Hindi, English is taught as second language from 6th class and facility for Punjabi,

Sanskrit, Urdu and Telugu is available as third language. At this time Telugu is taught as third language in 28 schools.

4. Selected teams from schools of State got 84 models in national schools sports competition.

5. An amount of Rs. 37.50 Lacs was arranged for strengthening the Book-Banks. Free text-books provided to the students of scheduled castes and other weaker section by this amount and from old text books of book-banks.

6. Aid of Rs. 588571 was given by national teachers welfare fund to the teachers/teachresses and their dependents in unconginal circumstances.

7. Teachers sports programme was organised at Faridabad from 2-9-85 to 5-9-85.

8. A Haryana Sahitya Academy is set up by State Govt. This institution raises the leterary activities of all languages and encourages research in cultural tradition. It sets guidance and policy for the preparation of books in Hindi for University level.

9. During the year under report 6132 merit scholarships in middle classes and 4528 merit scholarships in high/senior secondary classes were awarded for which Rs 7.36 lakhs and Rs.8.15 lakhs were arranged respectively. Rs. 24.57 lakhs were spent as scholarships and clothing allowances on Haryanvi students studying in Sainik Schools.

The students of scheduled castes and backward classes studying in 9th, 10th and 11th classes are given scholarships of Rs 20/ per students per month and besides free education examination fees is also reimbursed. In 1985-86 examination feeswas reimbursed with amount of Rs 27.06 lakhs. Harijan girls students studying in 9th, 10th and 11th classes are given 180 scholarships (60 in each class) at the rate of Rs 40/-, Rs. 50/- and Rs. 60/- per month respectively.

Rs. 1.60 lakhs were arranged for giving scholarships to Vimukt Jaties Students Rs. 2.63 lakhs were arranged for providing scholarships to meritorious students in rural areas.

वर्ष 1985-86 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

शिक्षा के लिए एक राज्य मन्त्री है । सचिवालय स्तर पर शिक्षा आयुक्त एवं सचिव आई0 ए0 एस0 काडर का है, जिसके सहयोग के लिए दो सयुक्त सचिव हैं । निदेशक विद्यालय शिक्षा निदेशालय के शीर्षस्थ अधिकारी हैं । वह शिक्षा नीतियों के कार्यान्वयन के लिये सभी जिला शिक्षा कार्यालयों के शीर्षस्थ नियन्त्रक अधिकारी है ।

क्षेत्र में जिला स्तर, उप मण्डल स्तर तथा खण्ड स्तर पर तीन स्तरीय प्रणाली है । जिला शिक्षा अधिकारी प्रत्येक जिले का शैक्षिक, प्रशासनिक एवं निरीक्षण कार्य का संचालन करता है । जिला शिक्षा कार्यालयों के नीचे उप मण्डल कार्यालय है, जो उच्च विद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासन एवं निरीक्षण करते हैं । प्राथमिक शिक्षा के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय हैं ।

प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के शैक्षिक, प्रशासनिक एवं निरीक्षण कार्य संचालन जिला स्तर पर जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी करते हैं ।

वर्ष 1985-86 में विद्यालय शिक्षा पर 1211 7.16 लाख रुपये व्यय किया गया । वर्ष 1985-86 के दौरान शिक्षा की प्रमुख गतिविधियां निम्न प्रकार रही :-

प्राथमिक शिक्षा

प्रदेश में 6—11 आयु के बच्चों के लिए शिक्षा गमन योग्य दूरी पर उपलब्ध है । राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में 6—11 आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । हरिजन जाति/कमजोर वर्ग के बच्चों को अधिक से अधिक विद्यालयों में प्रवेश के लिए मुफ्त लेखन सामग्री बच्चों

को देने हेतु 55 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। हरिजन छात्राओं को मुफ्त वर्दियां देने के लिए 70.25 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। हरिजन छात्राओं को 10 रुपये प्रति छात्रा प्रति मास के हिसाब से 93.60 लाख रुपये की उपस्थिति छात्रवृत्तियां दी गई। प्राथमिक विद्यालयों के लिए टाट-पट्टी खरीदने के लिए 27.50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए।

इस प्रदेश में पहली से दूसरी कक्षा में कोई बच्चा फेल नहीं किया जाता है। अध्यापन समस्याओं पर परस्पर विचार-विमर्श के लिए स्थापित शाला संगम केन्द्रों में प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापक मासिक बैठक करते हैं।

प्रदेश में 6—11 आयु के 99.78 प्रतिशत लड़के तथा 71.52 प्रतिशत लड़कियां और अनुसूचित जातियों के 50.65 प्रतिशत लड़के तथा 43.23 प्रतिशत लड़कियां प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं।

वर्ष 1985–86 के दौरान प्रदेश में 100 नये प्राथमिक विद्यालयों को खोला गया और 70 शाखा प्राथमिक विद्यालयों का दर्जा बढ़ा कर पूर्ण प्राथमिक विद्यालय किया गया।

माध्यमिक शिक्षा

प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में छठी से आठवीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है तथा अनुसूचित जाति की छात्राओं को 9वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के बच्चों को गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान विषयों में वर्ष में तीन मास की विशेष कोचिंग दी जाती है ताकि अनुसूचित जाति के कमजोर बच्चे अन्य छात्रों की समानता में आ सकें।

वर्ष 1985–86 के दौरान 97 प्राथमिक विद्यालयों का स्तर बढ़ा कर माध्यमिक किया गया तथा 100 माध्यमिक स्कूलों का स्तर बढ़ाकर उच्च किया गया। पांच उच्च विद्यालयों को स्थाई मान्यता प्रदान की गई थी तथा दो विद्यालयों को अस्थाई मान्यता प्रदान की गई थी।

वर्ष 1985–86 से राज्य मे 10+2 शिक्षा प्रणाली लागू की गई। यह प्रणाली 152 विद्यालयों तथा 106 महाविद्यालयों मे आरम्भ की गई।

वर्ष 1985–86 के दौरान 11-14 आयु के 7?.54 प्रतिशत लड़के तथा 35.81 प्रतिशत लड़कियां और 14—15 आयु के 46.12 प्रतिशत लड़के तथा 18 96 प्रतिशत लड़कियां विद्यालयों में पढ़ते हैं। अनुसूचित जाति के 11–14 आयु के 57 82 प्रतिशत लड़के तथा 17.97 प्रतिशत लड़कियां और 14.16 आयु के 30.77 प्रतिशत लड़के और 6.80 प्रतिशत लड़कियां विद्यालयों में पढ़ते हैं।

अराजकीय विद्यालयों को विद्यालय के घाटे की 75 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। वर्ष 1985–86 में अराजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को 306 25 लाख रुपये की राशि का विविध अनुदान दिया गया।

माध्यमिक/उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के लिए एक करोड़ रुपये के डूल-डैस्क खरीदे गये।

प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा

I. प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 2 अक्तूबर, 1978 से बड़े पैमाने पर आरम्भ किया गया था। इससे पहले प्रौढ़ शिक्षा के 998 केन्द्र राज्य के कुछ जिलों में चल रहे थे। रिपोर्टाधीन अवधि में कार्यरत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या 5758 है जिनमें 41088 पुरुषों तथा 145339 महिलाओं ने साक्षरता प्राप्त की।

औद्योगिक श्रमिकों को शिक्षा देने के लिए फरीदाबाद में 1981–82 में श्रमिक विद्यापीठ कार्यरत है।

वर्ष 1985-86 में प्रौढ़ शिक्षा पर 170.12 लाख रुपये (प्राविजनल) व्यय किए गए।

अनौपचारिक शिक्षा

राज्य में 6—14 आयु के उन बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देने की व्यवस्था है, जो पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा अन्य किसी कारण से विद्यालय शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। वर्ष 1985–86 में अनौपचारिक शिक्षा के 4842 केन्द्र कार्यरत थे, जिनमें 47016 लड़के तथा 93210 लड़कियों ने शिक्षा प्राप्त की।

छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुफ्त पाठ्य-पुस्तकें और लेखन सामग्री दी गई।

वर्ष 1985–86 में अनौपचारिक शिक्षा पर 71.17 लाख रुपये व्यय किए गए।

गुणात्मक सुधार

समाज उपयोगी उत्पादक कार्य के विषय को माध्यमिक कक्षाओं के लिए अनिवार्य विषय बना दिया गया है। इसे नई शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग माना गया है। वर्ष 1985–86 में कार्य अनुभव के लिए 4.87 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई। विद्यालय भवनों की मुरम्मत, निर्माण और देखभाल के लिए 1486.19 लाख रुपये की स्वीकृतियां प्रदान की गई। 33 रिहायशी मकानों के निर्माण हेतु 39.32 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में एन0 आर0 ई0 पी0/ आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के तहत लगभग 1285 कमरे 131.66 लाख रुपये की लागत से स्टेट शेयर से निर्मित करवाये गये।

शिक्षा के स्तरोन्नयन तथा विधिशोध अन्वेषण, अध्ययन तथा प्रशिक्षण कार्यों के द्वारा प्रदेश की शैक्षिक संस्थाओं, शिक्षा से जुड़े प्रशासकों तथा अध्यापकों के मार्गदर्शन हेतु राज्य में एक शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की हुई है।

अन्य कार्यक्रम

15 जे0 बी0 टी0 प्रशिक्षण संस्थाओं को 14 यूनिटें बी0 एड0 प्रशिक्षण की दी गईं।

2 2500 जे0बी0टी0 अध्यापकों तथा 950 माध्यमिक अध्यापकों, विद्यालयों के मुखियों, जिला शिक्षा अधिकारियों, रिसोर्स परसनल तथा खण्ड शिक्षा अधिकारियों के लिए एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण पर 2 27 लाख रुपये की लागत आई।

3. इस राज्य की भाषा हिन्दी है। अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में छटी कक्षा से आरम्भ की जाती है तथा तीसरी भाषा के रूप में पंजाबी, संस्कृत, उर्दू तथा तेलगू पढ़ाने के सुविधा उपलब्ध है। तेलगू भाषा इस समय तृतीय भाषा के रूप में 28 विद्यालयों में पढ़ाई जा रही है।

4. राज्य के विद्यालयों की चुनी टीमों ने राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में 84 पदक प्राप्त किये।

5. बुक बैंकों को सुदृढ़ करने के लिये 37.50 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई। इस राशि से तथा बुक बैंकों की पुरानी पाठ्य-पुस्तकों से अनुसूचित जातियों के बच्चे तथा अन्य कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त टैक्सट बुकस दी जाती हैं।

6. राष्ट्रीय अध्यापक प्रतिष्ठान द्वारा विपदाग्रस्त अध्यापकों/अध्यापिकाओं और उनके आश्रितों को 588571 रुपये की सहायता दी गई।

7. 2-9-85 से 5-9-85 तक फरीदाबाद में अध्यापक खेल समारोह का आयोजन किया गया।

8. राज्य सरकार द्वारा एक हरियाणा साहित्य अकादमी का भी गठन किया हुआ है। यह संस्था राज्य में साहित्यक स्तर को उन्नत करती है। सभी भाषाओं की साहित्य गतिविधियों को प्रोत्साहित और सांस्कृतिक परम्पराओं में अनुसंधान को बढ़ावा देती है। हिन्दी भाषा में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार कराने के लिए मार्गदर्शन और नीति निर्धारित करती है।

9. रिपोर्टाधीन अवधि में 6132 योग्यता छात्रवृत्तियां माध्यमिक कक्षाओं में तथा 4526 योग्यता छात्रवृत्तियां उच्च-वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं

में दिये गये, जिनके लिए क्रमश 7.36 लाख रुपये तथा 8.15 लाख रुपये की व्यवस्था की गई । सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों के छात्रवृत्तियों तथा कपड़ा भत्तों पर 24.57 लाख रुपये व्यय किये गये ।

9वी, 10 वी तथा 11वीं कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को 20 रुपये प्रति छात्र प्रति मास की दर से छात्रवृत्तियां दी गई तथा मुफ्त शिक्षा के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की गई । वर्ष 1985-86 के दौरान 27.06 लाख रुपये की राशि से परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की गई । 9वीं, 10वीं तथा 11वीं कक्षाओं में पढ़ने वाली हरिजन छात्राओं को क्रमश: 40 रुपये 50 रुपये तथा 60 रुपये प्रति मास की दर से 180 (प्रत्येक कक्षा में 60 छात्रवृत्तियां) दी गई ।

विमुक्त जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिये 1.60 लाख रुपये की व्यवस्था की गई । ग्रामीण क्षेत्र के सुयोग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिये 2.63 लाख रुपये की व्यवस्था की गई ।

अध्याय पहला

शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन

1.1. वर्ष 1985-86 में श्री जगदीश नेहरा, राज्य शिक्षा मन्त्री के पद पर रहे ।

(क) सचिवालय स्तर पर

रिपोर्टाधीन वर्ष में शिक्षायुक्त एवं सचिव के पद पर श्री एल0 एम0 जैन आई0 ए0 एस0 रहे । संयुक्त सचिव के पद पर श्री आर0 एस0 कैले, आई0 ए0 एस0 और उप-सचिव के पद पर श्रीमति शकुन्तला थाट एच0 सी0 एस0 ने कार्य किया ।

(ख) निदेशालय स्तर पर

वर्ष 1985-86 में निदेशक विद्यालय शिक्षा के पद पर श्री अनिल राजवान आई0 ए0 एस0 ने कार्य किया । निदेशालय स्तर पर निम्न पदों पर अन्य नियुक्त अधिकारियों ने कार्य को सुचारू रूप से चलाने में निदेशक महोदय को सहयोग दिया ।

पदों का नाम	अधिकारियों की संख्या
निदेशक एस0 आर0 सी0	1
संयुक्त निदेशक	2
उप-निदेशक	5
अध्यक्ष अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा	1

पदों का नाम	अधिकारियों की संख्या
सहायक निदेशक	10
लेखा अधिकारी	1
बजट अधिकारी	1
युवक एवं खेल अधिकारी	1

1.2. जिला प्रशासन

राज्य के प्रत्येक जिले में स्कूल शिक्षा का विकास, प्रशासन और नियन्त्रण का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारियों पर हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में शिक्षा के विकास तथा राज्य की शिक्षा नीतियों को कार्य रूप देते हैं। जिलों में शिक्षा विकास कार्य को भली भान्ति चलाने के लिये सभी उपमण्डलों में उपमण्डल शिक्षा अधिकारी हैं। उपमण्डल शिक्षा अधिकारी अपने उपमण्डल में शिक्षा के विकास के लिये जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी हैं।

जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिये एक एक उप जिला शिक्षा अधिकारी, एक एक विज्ञान परामर्शदाता तथा एक एक सहायक शिक्षा अधिकारी (खेलकूद) भी नियुक्त है।

इसी प्रकार राज्य के प्रत्येक जिले में प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के विकास, प्रशासन और नियन्त्रण के लिये जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी नियुक्त है। परियोजना अधिकारी एवं सहायक परियोजना अधिकारी इस कार्य में उनकी सहायता करते है।

1.3. खण्ड स्तर पर

राज्य में सभी प्राथमिक विद्यालयों का, निरीक्षण तथा प्रशासनिक सुविधा के लिये, 118 शिक्षा खण्डों में बांटा गया है। खण्ड शिक्षा अधिकारी

अपने-अपने खण्ड में स्थित प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा प्राथमिक विद्यालयों को सचारू रूप से चलाने के लिये उत्तरदायी हैं।

1.4. अराजकीय विद्यालय

सभी राजकीय उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासनिक प्रबन्ध मुख्याध्यापको तथा प्रधानाचार्यों के माध्यम से चलाया जाता है। सभी मुख्यध्यापक तथा प्रधानाचार्य अपने-अपने विद्यालयो में विद्यार्थियों को सुचारू रूप से शिक्षा देने तथा उनके शैक्षिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी/विभाग के प्रति उत्तरदायी हैं।

1.5 अराजकीय विद्यालय

अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्ध समितियों द्वारा चलाया जाता है। शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार ही इन विद्यालयों मे शिक्षा दी जाती है। ये विद्यालय शिक्षा विभाग से मानयताप्राप्त करते हैं। शिक्षा विभाग उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए वार्षिक अनुदान देता है। इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी ही करते हैं।

1.6. शिक्षा पर व्यय

शिक्षा विभाग का वर्ष 1985-86 का बजट संशोधित अनुमान अनुसार इस प्रकार था :--

(क) प्रत्यक्ष व्यय

(राशि लाख रुपयों में)

मद	योजनेत्तर	योजना	कुल
1	2	3	4
माध्यमिक शिक्षा	5597.94	253.57	5851.51
प्राथमिक शिक्षा	5077.18	535.29	5612.47

1	2	3	4
विशेष शिक्षा (स्पेशल)	71 70	109.47	181 37
विविध	34 45	79.48	113.91
जोड़	10781.25	978.81	11759.26
(ख) परोक्ष व्यय			
1. निदेशन (मुख्यालय)	103.45	4.53	107.98
2. इन्सपैक्शन	249 92	--	249 92
जोड़	353.37	4.53	357 90
जोड़ प्रत्यक्ष तथा परोक्ष व्यय	11134 62	982.54	12117 16

अध्याय दूसरा

प्राथमिक शिक्षा

2.1. प्राथमिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा है। अतः इसे देश के प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध कराने के लिये इसका विस्तार तथा विकास अत्यावश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य में इसके विकास एवं विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस समय हरियाणा राज्य में प्राथमिक शिक्षा सुविधा राज्य की शिक्षा नीति अनुसार 6--11 आयु वर्ग के बच्चों के लिये गमन योग्य दूरी पर उपलब्ध है।

2. हरियाणा में वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियों और प्राथमिक विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी :--

	1984-85		1985-86	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	27	--	27	--
प्राथमिक विद्यालय	4517	411	4530	4[illegible]

वर्ष 1985-86 में 100 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गए। [illegible] 0 शाखा प्राथमिक विद्यालयों का दर्जा बढ़ा कर प्राथमिक विद्यालय किया गया।

2.3. रिपोर्टाधीन अवधि में छात्रसंख्या निम्न प्रकार थी :—

क) कुल छात्र संख्या —

1. विद्यालय अनुसार	1984–85		1985–86	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	835	506	868	616
प्राथमिक विद्यालय	376742	275992	398564	394242
स्तर अनुसार				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	2043	1376	2290	1618
प्राथमिक स्तर	934938	591546	947888	627665
(ख) अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या				
1. विद्यालय अनुसार				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	163	93	157	105
प्राथमिक विद्यालय	84788	61712	91430	71746
2. स्तर अनुसार				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	166	94	158	110
प्राथमिक स्तर	189176	113235	195649	130127

प्राथमिक स्तर की छात्रसंख्या के लिए वर्ष 1985–86 के योजनाधीन लक्ष्यों एवं उनकी पूर्ति

कुल जनसंख्या (000में)			अनुसूचित जातियों की जनसंख्या	
जनसंख्या	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
6–11 आयु	9500	8776	180500	166744

	छात्र संख्या (हजारों में)		अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या हजारों में	
योजनाधीन निर्धारित छात्र संख्या	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
(पहली से पांचवी)	957	657	197	123
छात्र संख्या के लक्ष्यों की प्राप्ति पहली से पांचवी	957	657	196	136

2.4 अध्यापकों की संख्या

1. कुल अध्यापकों की संख्या

(क) विद्यालय अनुसार

	1984–85		1985–86	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	9	25	11	25
प्राथमिक विद्यालय	9323	5278	9571	5970
(ख) स्तर अनुसार :				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	10	65	14	89
प्राथमिक स्तर	19898	13524	19966	14617
2. अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या				
(क) विद्यालय अनुसार				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	2	—	2	—
प्राथमिक विद्यालय	695	83	727	86
(ख) स्तर अनुसार				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	—	2	2	—
प्राथमिक विद्यालय	1318	217	1314	226

2.5. बालवाड़ियों की स्थापना

राज्य में 7 पूर्व प्राथमिक विद्यालय और 20 बालवाड़ियां चल रही हैं जो समाज के पिछड़े एवं औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों के 6 वर्ष तक के बच्चों की देखरेख एवं उनके लिए शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करती हैं। वर्ष 1985–86 में भी इन पूर्व-प्राथमिक और बालवाड़ियों को जारी रखने की व्यवस्था की गई।

2.6. इस समय हरियाणा में सभी राजकीय विद्यालयों में पहली से आठवीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। 6–11 वर्ष तक की आयु के अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालयों में लाने के लिए प्रतिवर्ष अप्रैल मास में छात्र संख्या अभियान चलाया जाता है। वर्ष 1985–86 में इसके प्रचार/प्रसार पर 2.50 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। इस अभियान के फलस्वरूप वर्ष 1985–86 में 6—11 वर्ग की आयु वर्ग के 16.14 लाख बच्चों के प्रवेश के लक्ष्य के स्थान पर 15.76 लाख बच्चे दाखिल हुए। निर्धारित लक्ष्य से कम बच्चे दाखिल होने का मुख्य कारण यह है कि हरियाणा राज्य की ग्रामीण जनता रूढ़ीवादी विचार धारा की होने के कारण लड़कियों को विद्यालयों में कम भेजते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हरिजन जाति/कमजोर वर्ग के बच्चों को लेखन सामग्री आदि के क्रय हेतु 10 रुपए प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से प्रोत्साहन दिया जाता है और छठी से ग्याहरवीं कक्षाओं में पढ़ने वाली हरिजन/कमजोर वर्ग की लड़कियों को 20 रुपए प्रति छात्रा की दर से प्रोत्साहन दिया जाता है। इस के लिए वर्ष 1985–86 में 55 लाख रुपए की बजट व्यवस्था की गई। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1985–86 में पहली से ग्याहरवीं कक्षाओं की हरिजन छात्राओं को मुफ्त वर्दियां प्रदान करने के लिए 70.25 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली हरिजन छात्राओं को 10 रुपए प्रति छात्रा प्रति मास के हिसाब से उपस्थिति छात्रवृत्ति देने के लिए 93.60 लाख रुपए की व्यवस्था की गई।

2.7. हरियाणा राज्य के सभी राजकीय प्राथमिक स्कूलों में छात्रों के बैठने के लिए टाट-पट्टी का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1985 में टाट-पट्टी के लिए 27.50 लाख रुपए सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए।

2.8 शाला संगम केन्द्र

स्थापित किए शाला संगम केन्द्रों में आयोजित मासिक बैठकों में प्राथमिक अध्यापकों की व्यवसायिक कुशलता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम अपनाए जाते हैं। इन मासिक बैठकों में अध्यापक कक्षा संबंधी अध्यापन समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श करते हैं। इन बैठकों में खण्ड शिक्षा अधिकारी, उप मण्डल शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी समय समय पर भाग लेते रहते हैं।

एस0सी0ई0आर0टी0 के प्रकाशन विभाग द्वारा प्राथमिक अध्यापक नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका के माध्यम से प्राथमिक अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक विकास के लिए पत्राचार कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाता है। यह पत्रिका राज्य के प्राथमिक अध्यापकों को निःशुल्क उपलब्ध की जाती है। प्राथमिक स्तर के अध्यापक प्रतिमास संगम बैठकों में इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री पर विचार विमर्श करते हैं, जिस में बच्चों को रोचक तथा सुगम ढंग से शिक्षा देने का ज्ञान प्राप्त होता है।

2.9. कक्षा शिक्षा नीति तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार

सामान्यतः ऐसा होता है कि एक ही कक्षा में कुछ विद्यार्थी पढ़ाई में तीव्र होते हैं तथा कुछ मन्द होते हैं। अतः विभाग ने यह अनुमति दी है कि यदि कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक हो तो कक्षा के अलग-अलग सैक्शन बना दिए जाए तथा इन सैक्शनों को इस तरह बनाया जाए कि तीव्र बुद्धि के बच्चे एक सैक्शन में तथा मंद बुद्धि वाले बच्चे दूसरे सैक्शन में आ जाएं और जिस शिक्षक के पास मंद बुद्धि वाले बच्चे हों उसके परिणाम को देखते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि वह कमजोर सैक्शन को पढ़ा रहा है

पहली से चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह परीक्षा नीति अपनाई गई है कि पहली तथा दूसरी कक्षा में कोई बच्चा फेल न किया जाए तथा तीसरी तथा चौथी की कक्षाओं में परीक्षा के परिणाम अनुसार कार्यवाही की जाए।

2.1. विद्यालय केयर [फिडिंग प्रोग्राम

मध्यान्ह भोजन का कार्यक्रम हरियाणा में केयर की सहायता से 117 शिक्षा खण्डों में चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों के छात्र/छात्राओं में मध्यान्ह भोजन देने की व्यवस्था है। यह खाद्य सामग्री सी0ए0आर0ई0 की सहायता से मुफ्त प्राप्त होती है। प्रत्येक बच्चे को 80 ग्राम दलिया तथा 7 ग्राम सलाद आयल दिया जाता है। वर्ष 1985–86 में 2.93 लाख बच्चों को पंजीरी] आदि वितरित की गई। इस कार्य के लिए घरोण्डा में एक केन्द्रीय किचन स्थापित है जिसमें एक लाख बच्चों के लिए प्रतिदिन पंजीरी तैयार करके स्कूलों में बांटने के लिए भेजी जाती है। वर्ष 1985-86 में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए 42.43 लाख रुपयों का प्रावधान था। जनवरी 1987 में भारत सरकार इस कार्यक्रम को बन्द कर रही है।

अध्याय तीसरा

माध्यमिक शिक्षा

3.1. आज के आधुनिक युग में माध्यमिक शिक्षा का भी प्राथमिक शिक्षा से कम महत्व नहीं है। इस लिए राज्य में माध्यमिक शिक्षा के विकास एवं विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

3.2. रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी :--

	1984--85		1985--86	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
माध्यमिक विद्यालय	994	111	990	131
उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	1497	304	1613	303

वर्ष 1985--86 में 97 प्राथमिक विद्यालयों का स्तर बढ़ा कर माध्यमिक किया गया तथा 100 माध्यमिक स्कूलों का स्तर बढ़ा कर उच्च किया गया। पंचायत मिडल स्कूल खानपुर लवाना को सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया। वर्ष 1985-86 में 5 उच्च विद्यालयों को स्थाई मान्यता प्रदान की गई तथा दो विद्यालयों को अस्थाई मान्यता प्रदान की गई। वर्ष 1985-86 से राज्य में 10+2 शिक्षा प्रणाली लागू की गई। 10+2 शिक्षा प्रणाली विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में आरम्भ की गई है। जिन विद्यालयों में 10+2 शिक्षा प्रणाली आरम्भ की गई उन्हें वरिष्ठ विद्यालय का स्तर प्रदान किया

गया है । जिन विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में 10+2 शिक्षा प्रणाली आरम्भ की गई है उनकी संख्या निम्न प्रकार है :—

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	132
अराजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	20
राजकीय महाविद्यालय	33
अराजकीय महाविद्यालय	73
जोड़ :	258

3.3 **छात्र संख्या**

रिपोर्टाधीन अवधि में विभिन्न विद्यालयों तथा विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

(क) कुल छात्र संख्या

(1) स्कूल वार

	1984–85		1985–86	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
1	2	3	4	5
माध्यमिक विद्यालय	248813	140507	234611	146563
उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	887268	399149	906820	431983
(2) स्तर अनुसार				
माध्यमिक स्तर :				
छठी से आठवीं	399900	162389	408991	178566
उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	176716	60741	181537	65120

1	2	3	4	5
(ख) अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या				
1. विद्यालय अनुसार				
माध्यमिक विद्यालय	45220	23388	43754	26345
उच्च वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	138491	44766	144124	53431
2. स्तर अनुसार				
माध्यमिक (छठी से आठवीं)	58346	13690	61941	17020
वरिष्ठ/उच्च माध्यमिक (नौवीं से बारहवीं)	20951	2937	22477	4258

कक्षा छठी से आठवी तथा नौवी से दसवीं तक की छात्र संख्या के लिए वर्ष 1985–86 में योजनाधीन निर्धारित लक्ष्य एवं उसकी पूर्ति :––

विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या लाखों में

	आयु वर्ग 11– –13		आयु वर्ग 14– –15	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
कुल जनसंख्या	5.64	4.98	3.70	3.20
अनुसूचित जातियों की संख्या	1.07	0.98	9.70	0.61

योजनाधीन निर्धारित लक्ष्य एवं उनकी पूर्ति

	छठी से आठवीं		नौवीं से दसवीं	
कुल छात्र संख्या	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
लक्ष्य (लाखों में)	4.30	2.02	2.02	0.60
लक्ष्यों की पूर्ति	4.09	1.79	1.82	0.65
अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या :				
लक्ष्य हजारों में	68	20	5	—
लक्ष्य की पूर्ति	62	17	—	—

3.4. अध्यापकों की संख्या

वर्ष 1985–86 में विभिन्न विद्यालयों तथा विभिन्न स्तरों पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न थी :

(क) अध्यापकों की कुल संख्या

(1) विद्यालय अनुसार

	1984–85		1985–86	
	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं
माध्यमिक विद्यालय	6977	4109	6621	4126
उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	25250	14004	25980	14963

(2) स्तर अनुसार

माध्यमिक स्तर	12370	6217	12502	6350

	1984-85		1985-86	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक स्तर	9263	3610	9690	4020

अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या निम्न रही :-

(1) विद्यालय अनुसार				
माध्यमिक विद्यालय	418	93	374	90
उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	317	155	831	144
(2) स्तर अनुसार :				
माध्यमिक स्तर	367	73	350	66
उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक स्तर	247	39	167	28

3.5 दोहरी पारी प्रणाली

जिन विद्यालयों को भवनों में छात्र संख्या की वृद्धि के कारण बच्चों के बैठने के लिए कमरों की कमी हो जाती है, उन विद्यालयों में दोहरी पारी प्रणाली अपनाने की स्वीकृति देने में जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं सक्षम हैं।

3.6 सह शिक्षा की नीति :

ऐसे क्षेत्र तथा गांव जिनमें लड़कियों के लिए माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां लड़कों के विद्यालय में ही लड़कियों को प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

3.7. तेलगू भाषा की शिक्षा

हरियाणा में सातवीं कक्षा से तेलगु भाषा की शिक्षा तीसरी भाषा के रूप में दी जाती है। इस भाषा की शिक्षा सुविधा राज्य के 34 विद्यालयों में उपलब्ध है। इस भाषा को पढ़ाने वाले अध्यापकों को दो विशेष वेतन वृद्धियां के बराबर राशि भत्ते के रूप में दी जाती है।

3.9. विशेष कोचिंग कक्षाएं

नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ रहे हरिजन जाति के बच्चों को गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान विषयों में प्रति वर्ष तीन मास के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है, ताकि अनुसूचित जाति के कमजोर बच्चे अन्य छात्रों को कम्पीट कर सकें। वर्ष 1985-86 में इस स्कीमाधीन दो लाख रुपए की व्यवस्था रही। अध्यापक को पारिश्रमिक 150 रुपए से 200 रुपए तक मासिक दर से दिया जाता है। ये कक्षाएं आरम्भ करने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 10 या इससे अधिक छात्र संख्या निर्धारित है।

3.10 परीक्षा परिणाम :

आठवीं, दसवी तथा वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ रहे छात्रों की परिक्षाओं के लिए राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना की हुई है। वर्ष मार्च 1985 में हुये परीक्षा शिक्षा परिणाम निम्न प्रकार रहा :—

	नियमित		प्राईवेट	
	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण हुए	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण हुए
आठवीं	178198	89135	26889	10111
दसवीं	107935	81265	32873	12988

वर्ष 1985-86 में 10+2 शिक्षा पद्धति आरम्भ होने के कारण ग्यारहवीं परीक्षा बोर्ड द्वारा नहीं ली गई।

3.11 अराजकीय विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान

वर्ष 1985-86 में अराजकीय विद्यालयों को निम्न अनुदान दिए गए

(क) अनुरक्षण अनुदान :

अराजकीय विद्यालयों को उनके घाटे की 75 प्रतिशत राशि अनुरक्षण अनुदान के रूप में दी जाती है । वर्ष 1985-86 में अराजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को 92.49 लाख रुपए की राशि का अनुरक्षण अनुदान के रूप में वितरण निम्न प्रकार है ।

		लाख रुपए
(1)	स्थाई मान्यता प्राप्त प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों को	83.91
(2)	साकेत कौंसिल चण्डीमन्दिर को	0.68
(3)	संस्कृत विद्यालयों/गुरुकलों को	1.49
(4)	विभिन्न संस्थाओं को विशेष अनुदान	6 41

(ख) विशेष अनुदान :

विचाराधीन अवधि में पानीपत के 8 विद्यालयों को 8000 रुपए की राशि का विशेष अनुदान दिया गया ।

(ग) संस्कृत विद्यालयों/पाठशालाओं को अनुदान

संस्कृत भाषा के उत्थान हेतु भारत सरकार द्वारा 23 संस्कृत महाविद्यालयों/पाठशालाओं को 8.48 लाख रुपए का अनुदान दिया । राज्य सरकार ने भी इन पाठशालाओं को 1.49 लाख रुपए का अनुरक्षण अनुदान दिया जिसका ऊपर (क) भाग में वर्णन किया गया है ।

(घ) हरियाणा राज्य कल्याण समाज को गूंगे एवं बहरों की संस्थाओं के लिए 12 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी ।

(ङ) हरियाणा राज्य शिशु कल्याण परिषद को बच्चों के कल्याणकारी कार्यों के लिए 1.43 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी गई ।

(च) कोठारी अनुदान

वर्ष 1985–86 में राज्य के अराजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को 202.26 लाख रुपए का कोठारी अनुदान स्वीकृत किया गया । इसके अतिरिक्त 10+2 शिक्षा प्रणाली को उच्च विद्यालयों में सुचारु रूप से चलाने हेतु सरकार द्वारा 100 लैक्चरार (60 नियमित वेतनमान में तथा 40 पद 800 रुपए फिक्स वेतन पर) स्वीकृत किए गए । ये पद राज्य के 20 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में वितरित किए गए ।

3.12. डूल/डैस्कों का खरीदना

वर्ष 1985–86 में माध्यमिक/उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए एक करोड़ रुपए के डूल-डैक्स खरीदे गए । इस एक करोड़ की खरीद के लिए 41 लाख रुपए की राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई तथा शेष राशि स्कूल फण्डों में से स्वीकृत की गई ।

अध्याय चौथा

प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

1.1. लोकतांत्रिक पद्धति में निरक्षरता एक अभिशाप है। किसी भी स्वतन्त्र देश में कुछ व्यक्ति शिक्षा की सामान्य सुविधा से वंचित रहे सभ्य नागरिकों के लिए यह बड़ी दुर्भाग्य पूर्ण बात है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्वीकार किया जाता है कि निरक्षरता जैसी महामारी को अविलम्ब दूर किया जाना चाहिए।

आज कल प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मात्र साक्षरता नहीं रहा है, बल्कि जन-साधारण अपनी कार्य-कुशलता को बढ़ावें। वे जो भी धंधा करते हैं उसे बखूबी सर-अंजाम दें, उनमें सामाजिक जागरुकता पैदा हो। सामान्य नागरिकता की व जानकारी हासिल करें तथा राष्ट्र की प्रगति में सामान्य रूप से साझेदार बन सकें। इस के लिए 15.35 आयु-वर्ग का चयन किया गया है। यह उम्र ऐसी है जिसमें सभी प्रकार की महत्वकांक्षाएं उभर कर सामने आती हैं। इस आयु-वर्ग में आगे बढ़ने की चाह बनी रहती है, उमंग इनकी मिटती नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में विशेष रूप से ग्रामीण महिलाएं, अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग को बढ़ावा देने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसलिए अब प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र पिछड़े हुए क्षेत्रों में और पिछड़े हुए वर्गों के लिए खोले जाने पर जोर दिया जाता है।

हरियाणा राज्य की स्थापना के समय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम सीमित रूप से चालू था। 1-11-66 को हरियाणा राज्य में चलते-फिरते सामाजिक शिक्षा दस्ते थे, जिनके अन्तर्गत 58 सामाजिक शिक्षा केन्द्र जिला जीन्द और महेन्द्रगढ़ में कार्य कर रहे थे। वर्ष 1968-69 में भारत सरकार की ओर किसान साक्षरता योजना चलाई गई, जिसके अन्तर्गत वर्ष 1977-78 के

अन्त में कुल केन्द्रों की संख्या 998 थी। उसके पश्चात स्कीम का और विस्तार हुआ।

वर्ष 1985-86 में कार्यरत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या निम्न थी।

ये केन्द्र 60 ब्लाकों में चल रहे थे। प्रत्येक ब्लाक में लगभग 100 केन्द्र थे। यह कार्यक्रम राज्य में 19 परियोजनाओं में चल रहा था :—

वर्ष	कुल स्वीकृत केन्द्र	कुल चालू केन्द्र		
		पुरुष	महिलाएं	कुल
1984-85	4900	1411	3485	4896
1985-86	5800	1457	4501	5758

4.2 लाभार्थियों की संख्या :

(क) वर्ष 1985-86 में कार्यरत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले प्रौढ़ों की संख्या निम्न थी :—

वर्ष	पुरुष	महिलाएं	योग
1984-85	46228	108153	154381
1985-86	44088	145339	189427

(ख) अनुसूचित जातियों के लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या :—

वर्ष	पुरुष	महिलाएं	योग
1984-85	12203	28997	41200
1985-86	13328	36137	49465

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या :--

वर्ष	पुरुष	महिलाएं	योग
1984–85	44999	98132	143131
1985–86	42333	133997	176330

4.3. वित्तीय व्यवस्था :

वर्ष 1985-86 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर खर्चा (प्रोविजन) निम्न प्रकार था --

		1984–85	1985–86
		(रुपए लाखों में)	
1	केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम	85.40	111.23
2.	राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम	60.95	58.89
		146.35	170.12

4.4. लाभार्थियों का मूल्यांकन

वर्ष 1985–86 में 170029 प्रौढ़ शिक्षार्थियों को पढ़ने लिखने, संख्यात्मक तथा कार्यात्मक में साधारण परीक्षा ली गई, जिनमें 111669 शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जिनमें से 85223 महिलाएं थी ।

4.5. स्वैच्छिक संस्थाएं

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में स्वैच्छिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार अनुदान देती है । वर्ष 1985-86 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में कार्यरत जिन स्वैच्छिक संस्थाओं को

भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया गया, वे निम्न हैं और उन संस्थाओं द्वारा चलाए गये केन्द्रों की संख्या भी उनके आगे अंकित हैं :—

	स्वैच्छिक संस्थाओं का नाम	चालू केन्द्रों की संख्या
1.	जनता कल्याण समिति, रिवाड़ी (महेन्द्रगढ़)	300
2.	सैन्टगाल समिति एवं शिक्षा न्यास, अम्बाला शहर	30
3.	शिक्षा शैक्षणिक संस्था, हरियाणा, शहजादपुर (अम्बाला)	30
4.	पी०एच०डी० ग्रामीण विकास संस्थान लिमिटिड, दिल्ली	30
5.	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक, रादौर	200
6.	हरियाणा राजकीय अध्यापक भवन न्यास, नीलोखेड़ी	60
7.	विद्या सभा महासभा कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, खरखौदा (सोनीपत)	30

इस के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से भी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है । वर्ष 1985–86 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक को 120 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र को 152 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए अनुदान दिया गया ।

4.7. राज्य संसाधन केन्द्र

प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित साहित्यक सामग्री तैयार करने व उपलब्ध करने के लिए निदेशालय स्तर पर राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना की हुई है । इसका सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

8.5. श्रमिक विद्यापीठ फरीदाबाद

वर्ष 1981–82 में हरियाणा में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमिक विद्यापीठ, फरीदाबाद की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य औद्योगिक (semi-skilled/un skilled) श्रमिकों को शिक्षा देना, रहन-सहन का ज्ञान देना, कोई घरेलू धंधा सीखने तथा उद्योगों के प्रबन्ध में भागीदार होने का ज्ञान देना है।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

ऐसे बच्चों के लिए जो आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, अंशकालिक शिक्षा देने के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले गए हैं। हरियाणा राज्य में अनौपचारिक शिक्षा की वर्तमान रूप रेखा 2 अक्तूबर, 1978 को अपनाई गई, जब राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ हुआ। 1979–80 में 2500 प्राथमिक स्तर के तथा 120 मिडल स्तर के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्वीकृत थे। स्कीम के कार्यान्वित करते समय यह पाया गया कि मिडल स्तर के केन्द्र कई कारणों जैसे (1) उचित योग्यता रखने वाले विज्ञान एवं गणित के अनुदेशकों के न मिलना तथा (2) प्रयोगशाला का उपलब्ध न होने से ठीक प्रकार नहीं चल रहे थे और उन्हें बाद में प्राथमिक स्तर के केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया गया। वर्ष 1985–86 में स्वीकृत केन्द्रों की संख्या 4810 प्राथमिक स्तर तथा 100 माध्यमिक स्तर थी, जिनमें निम्न केन्द्र चालू थे। यह कार्यक्रम 52 ब्लाकों में चालू था।

वर्ष	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	
	प्राथमिक	माध्यमिक	प्राथमिक	माध्यमिक
[illegible]4 8[illegible]	3329	—	92	—
[illegible] 8[illegible]	44[illegible]0	70	346	6

[illegible] रिपोर्टाधीन अवधि में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में लाभान्वित

छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही :—

प्राथमिक स्तर

	1984-85			1985-86		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
कुल छात्र संख्या	37925	64910	102035	47016	93210	140226
ग्रामीण क्षेत्र की संख्या	35205	58616	93821	44247	76055	130302
अनुसूचित जाति की छात्र संख्या	10388	21058	31946	14102	31268	45370

माध्यमिक स्तर

	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
कुल छात्र संख्या	—	—	—	908	315	—
ग्रामीण क्षेत्र की संख्या	—	—	—	870	260	—
अनुसूचित जाति की छात्र संख्या	—	—	—	148	51	—

वर्ष 1984-85 में कोई माध्यमिक स्तर का अनौपचारिक केन्द्र स्वीकृत नहीं था। वर्ष 1985-86 में 1.22 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य था जिसमें सम्मुख 1.40 लाख बच्चों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ पहुंचाया गया।

Date

4.3. वित्त व्यवस्था

वर्ष 1985–86 में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम पर निम्नलिखित खर्चा (प्रोत्साहन) हुआ :--

		लाख रुपये
1	नान प्लान	56.63
2	योजना	14.54
	कुल :	71.17

4.4. छात्रों को प्रोत्साहन

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा कार्य अनुभव के लिए, अन्य शिक्षा सामग्री उपलब्ध की जाती है। अनुसूचित जाति की लड़कियों, जिनकी कम से कम 30 प्रतिशत उपस्थिति हो, को मुफ्त वर्दियां दी जाती हैं। बहुत सारे केन्द्रों में सिलाई की मशीनें, स्वाटर बुनाई की मशीनें तथा खिलौने, बैग और सजावट की वस्तुएं बनाने के लिए प्लास्टिक केन उपलब्ध की गई है।

4.5. मूल्यांकन

अनौपचारिक शिक्षा में दो तरह के छात्र होते हैं :--

1 वे बच्चे जो बीच में पढ़ना छोड़ देते हैं।

2 वे बच्चे जो विद्यालय में जाते ही नहीं।

पहली प्रकार के बच्चों में कुछ बच्चे अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करके पुनः स्कूल में दाखिल हो जाते हैं। कुछ पांचवीं कक्षा की परीक्षा में बैठते हैं तथा उनका मूल्यांकन जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाता है। दूसरी प्रकार के बच्चे 2 वर्षों की अवधि में पाठ्य क्रम पूरा करके पांचवीं

कक्षा की परीक्षा में बैठते हैं उन्हें उत्तीर्ण होने के लिए 25 प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होती है । माध्यमिक केन्द्रों में स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा की माध्यमिक परीक्षा में बैठने के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है ।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षार्थियों का मूल्यांकन जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी (प्रौढ़ शिक्षा) द्वारा किया जाता है । इस वर्ष की स्थिति निम्न प्रकार थी :—

कुल लाभार्थी	पांचवी कक्षा पास करने वाले लाभार्थी	अनौपचारिक विद्यालयों में प्रविष्ट	अगली कक्षा में प्रविष्ट कराए छात्र	टोटल सरवाईवल
12871	2649	1280	82493	86422

4.6. अनौपचारिक शिक्षा स्कीम की देख-रेख के लिए जिला स्तर पर अलग से कोई प्रशासकीय अमला स्वीकृत नहीं है । इन केन्द्रों की देख रेख और मूल्यांकन आदि का कार्य जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी प्रौढ़ शिक्षा तथा पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाता है । अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों को प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा स्कीम का प्रशिक्षण भी इकट्ठा दिया जाता है । अनौपचारिक शिक्षा स्कीम तथा प्रौढ़ शिक्षा स्कीम को इकट्ठा ही रखा हुआ है और प्रायः एक ही अनुदेशक इन दोनों केन्द्रों को चलाता है ।

———

अध्याय पांचवा

शिक्षा सुधार कार्यक्रम

शिक्षा में विस्तार के साथ-साथ शिक्षा में गुणात्मक सुधारों के लिए तथा शिक्षा के स्तर को समुन्नत करने के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं। रिपोर्टाधीन अवधि में जो शिक्षा सुधार कार्यक्रम चलाए गए वे निम्नलिखित हैं --

5.1. शैक्षिक तकनीकी अनुभाग

शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने, विद्यालय स्तर पर गतिरोध को कम करने, प्राथमिक शिक्षा को अधिक प्रभावशाली तथा रोचक बनाने, अध्यापकों की शिक्षण विधियों को नई दिशा देने तथा सहायक शिक्षा सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग करने में अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से राज्य में 1978-79 से शैक्षिक तकनीकी अनुभाग चल रहा है।

यह केन्द्र संचालित स्कीम है जिस पर खर्च की जा रही धन राशि की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। इस के लिए सरकार ने वर्ष 1985-86 में 2.25 लाख रुपए की व्यवस्था की है।

5.2 कार्य अनुभव

कार्यानुभव शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। यह विषय राज्य के सभी राजकीय स्कूलों में पढ़ाया जाता है। कार्य अनुभव जिसे अब समाज उपयोगी उत्पादक का कार्य कहा जाता है, को नई शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग माना गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस विषय को दसवीं कक्षा तक अनिवार्य विषय बना दिया है। वर्ष 1985-86 में उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में कार्यक्रम के लिए 1.87 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त

300 रुपए प्रति प्राथमिक/माध्यमिक की दर से 1000 प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के लिए वर्ष 1985–86 में 3.00 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।

5.3 शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक सुविधाओं का उपलब्ध करना

रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक तथा भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए विशेष पग उठाए गए हैं।

राज्य में स्कूल भवनों को अच्छी दशा में रखने के लिए सरकार विशेष ध्यान देती है। शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए भवन निधि नियम/बिल्डिंग फण्ड रूल्ज के अनुसार राजकीय स्कूलों में फण्ड के अन्तर्गत एकत्रित की गई राशि का 80 प्रतिशत विभाग के मुद्रा कोष (मनीपूल) में जमा करवाना पड़ता है। सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि जिन स्कूलों के भवन पूरी तरह तैयार हैं उन्हें देख-भाल के लिए लोक निर्माण विभाग को सौंप दिए जाएं।

राज्य के स्कूल भवनों की विशेष मुरम्मत हेतु नान प्लान पक्ष पर 45 लाख रुपए की बजट व्यवस्था है तथा इतनी ही बराबर की राशि बिल्डिंग पूल मनी से दी जाती है। इस राशि के सम्मुख वर्ष 1985–86 में सरकार द्वारा 167 राजकीय विद्यालयों की मुरम्मत हेतु 96.37 लाख रुपए की लागत के अनुमान स्वीकृत किए गए।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में 1235 प्राईमरी स्कूलों की देख भाल हेतु राज्य की 11 पंचायत समितियों को 2.50 लाख रुपए की राशि नान प्लान बजट से स्वीकृत की गई थी।

वार्षिक योजना 1985–86 में 93 राजकीय प्राथमिक/माध्यमिक और उच्च वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु 1074.71 लाख रुपए, 33 रिहायशी मकानों के निर्माण हेतु 39.32 लाख रुपए की तथा 370 विद्यालयों की मरम्मत हेतु 312.61 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृतियां प्रदान की गई थीं। इस के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में एन0

आर0ई0सी0/आर0एल0ई0जी0पी0 के तहत लगभग 1285 कमरे 131.66 लाख रुपए की लागत के स्टेट शेयर से निर्मित करवाए गए ।

वर्ष 1985-86 मे छात्रों की भवन निधि दरों में भी 1-4-85 से वृद्धि की गई --

कक्षाएं	1-4-85 से पूर्व की दरें	1-4-85 से दरें
	रुपए प्रति वर्ष	रुपए प्रति वर्ष
1. कक्षा पहली से पांचवीं	2	5
2. कक्षा छठी से आठवीं	4	10
3. कक्षा नौवी से ग्यारहवीं तथा जे0बी0टी0	10	20

5.4 विज्ञान प्रदर्शनी

बालकों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने तथा विज्ञान शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए उप मण्डल/जिला/राज्य स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया तथा इसके लिए वर्ष 1985-86 में 23000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

5.5 हरियाणा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

शिक्षा के स्तरोन्नयन तथा विधिशोध अन्वेषण, अध्ययन तथा प्रशिक्षण कार्यों के द्वारा प्रदेश को शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना की हुई है । अपने जन्मकाल से ही यह परिषद् अपनी विशिष्ट तथा विविध कार्यकलापों में संलग्न इकाईयों के माध्यम से राज्य के शैक्षिक वातावरण को समयानुरूप सम्पन्न करने हेतु यथा सामर्थ्य प्रयासरत है ।

अध्याय छठा

छात्र वृत्तियां तथा अन्य वित्तीय सहायता

6.1. सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों की शिक्षा के भिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्ति के लिए राज्य सरकार की भिन्न-भिन्न स्कीमों के अन्तर्गत अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियों तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हुए अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियों तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा शिक्षा विभाग को जुटाई गई राशि में से भी वजीफे एवं वित्तीय सहायता दी जाती है।

6.2. स्कूलों में छात्रों के लिये योग्यता छात्रवृत्ति योजना

छात्रवृत्ति योजना

(क) राज्य सरकार की ओर से पांचवीं कक्षा स्तरीय योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा के आधार पर माध्यमिक कक्षाओं में (छठी से आठवीं कक्षा तक) 10 रुपए प्रति मास की दर से दी जाती है। वर्ष 1985-86 में माध्यमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को 6132 योग्यता छात्रवृत्तियां दी गई। इन छात्रवृत्तियों के लिए 7.36 लाख रुपए की राशि रखी गई। वर्ष 1984-85 में यह राशि 5.16 लाख रुपए थी।

(ख) माध्यमिक परीक्षा पर आधारित योग्यता छात्रवृत्ति उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में 15 रुपए मासिक प्रति छात्र की दर से दी जाती है। वर्ष 1985-86 में उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों को 4528 योग्यता छात्रवृत्तियां दी गई। इन छात्रवृत्तियों के लिए वर्ष 1985-86

में 8.15 लाख रुपये की राशि रखी गई । वर्ष 1984-85 में यह राशि 5.46 लाख रुपए थी ।

6.3. सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों को छात्रवृत्तियां

देश में विभिन्न सैनिक स्कूलों तथा पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए वर्ष 1985-86 में 57 हरियाणवी छात्रों को छात्रवृत्तियां एवं कपड़ा भत्ता के रूप में 24.57 लाख रुपए की राशि व्यय की गई ।

6.4. तेलगू भाषा प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति

हरियाणा में सातवीं कक्षा से तेलगु भाषा की शिक्षा तीसरी भाषा के रूप में दी जाती है । जो छात्र तेलगु भाषा पढ़ता है उसे 10 रुपए प्रति मास की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है । वर्ष 1985-86 में 312 छात्रवृत्तियां दी गई और इस के लिए 37440 रुपए की व्यवस्था की गई ।

6.5. राज्य हरिजन कल्याण योजना अधीन अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को सुविधाएं

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों/छात्राओं को सभी प्रकार की शैक्षिक, व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता दी जाती है । ऐसे छात्र बिना भेदभाव के राज्य के सभी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश कर सकते हैं । निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है । इस योजना के अधीन नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले हरिजन तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को 20 रुपए की दर से छात्रवृत्ति दी गई । इस वर्ष ऐसे पात्र छात्र/छात्राओं की 2705600 रुपए की राशि से परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की गई । वर्ष 1983-84 से ये लाभ प्राप्त करने के लिए छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 10,000 रुपए है । इससे पूर्व यह सीमा 6000 रुपए की वार्षिक थी ।

6.6. हरिजन छात्राओं को योग्यता छात्रवृत्ति योजना

नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं की हरिजन छात्राओं को योग्यता आधार पर प्रत्येक कक्षा के लिए 60-60 छात्रवृत्तियों (180) छात्रवृत्तियां

दी जाती हैं । ये छात्रवृत्तियां नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में क्रमशः 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए प्रति मास की दर से दी जाती है । वर्ष 1984–85 में भी ये छात्रवृत्तियां दी गई । वर्ष 1985–86 के दौरान इनके लिए 108000 रुपए की व्यवस्था की गई ।

6.7. **विमुक्त जाति कल्याण योजना** :

विमुक्त जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए अलग से एक विमुक्त जाति कल्याण योजना चल रही है । वर्ष 1985–86 में इस परियोजना के लिए 1.60 लाख रुपए की व्यवस्था की गई और लगभग 3000 छात्रों को लाभ पहुंचाने की संभावना है ।

6.7 **टोकन प्राईज तथा मैरिट सर्टिफिकेट**

ऐसे छात्र जो मिडल/उच्च विद्यालय योग्यता छात्रवृत्ति सूची में आते हैं परन्तु उनके माता-पिता (अभिभावकों) की वार्षिक आय 10000 रुपए से अधिक होने के कारण वे योग्यता छात्रवृत्ति के पात्र नहीं बनते, को 50 रुपए टोकन प्राईज तथा मैरिट सर्टिफिकेट दिया जाता है । मिडल कक्षाओं में 100 तथा उच्च/उच्चतर कक्षाओं में 70 टोकन प्राईज रखे गए हैं जिनके लिए कुल 8500 रुपए की राशि की व्यवस्था की गई थी ।

6.8. **ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिये माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना**

ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर की परीक्षा के आधार पर राज्य की ओर से 5 छात्रवृत्तियां प्रति विकास खण्ड की दर से दी जाती है । स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को जो छात्रावास में रहते हैं 100 रुपए प्रति मास, स्कालर्ज जो छात्रावास में नहीं रहते (श्रेणी नौवीं, दसवीं) 30 रुपए प्रति मास और डे स्कालर्ज श्रेणी (11वीं तथा 12वीं) को 60 प्रति मास की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । वर्ष 1985–86 में 2.63 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है । वर्ष 1984–85 में भी इतनी ही राशि की व्यवस्था की गई थी ।

अध्याय सातवां

विविध

7.1 शिक्षक प्रशिक्षण

शिक्षा का स्तर अध्यापकों के व्यवसायिक प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रति दिन कई प्रकार के नए अनुसंधान हो रहे हैं। इसलिए शिक्षकों को व्यवसायिक दक्षता प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

(क) सेवाकाल से पूर्व प्रशिक्षण :

(ख) सेवाकालीन प्रशिक्षण

(क) सेवा काल से पूर्व प्रशिक्षण

वर्ष 1985-86 में राज्य में ओ0 टी0 प्रशिक्षण का कार्यक्रम बन्द रखा गया। केवल डी0एड0 प्रशिक्षण की 14 यूनिटें (एक यूनिट में 50 प्रशिक्षणार्थी होते हैं) स्वीकृत की गई। जिन जे0बी0टी0 केन्द्रों में यूनिटें स्वीकृत की गई वे केन्द्र निम्न प्रकार है :—

1. राजकीय जे0बी0टी0 विद्यालय फिरोजपुर नमक (गुड़गांवा)।
2. राजकीय जे0बी0टी0 विद्यालय, आदमपुर (हिसार)।
3. राजकीय जे0बी0टी0 विद्यालय पावड़ा (हिसार)।
4. राजकीय जे0बी0टी0 विद्यालय, पुण्डरी (कुरुक्षेत्र)।
5. राजकीय जे0बी0टी0 विद्यालय, ओढ़ा (सिरसा)।

(ख) सेवा कालीन प्रशिक्षण

शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रति दिन होते सुधारों के ज्ञान के लिए अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण भी अति आवश्यक है। इसलिए वर्ष 1985-86

में विद्यालयों के लिए अध्यापकों तथा शिक्षा अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किया गया । ग्रीष्म अवकाश में 2500 जे0बी0टी0 अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया । इस प्रशिक्षण पर 3.20 लाख रुपए की राशि खर्च हुई । इसी प्रकार 950 माध्यमिक अध्यापकों, विद्यालयों के मुखियों, जिला शिक्षा अधिकारियों, रिसोर्स परसनल तथा खण्ड शिक्षा अधिकारियों के लिए एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किया गया । इस प्रशिक्षण पर 2.27 लाख रुपए की लागत आई ।

जिला केन्द्र की स्थापना करने हेतु 3 इंगलिश रिसोर्स परसनल को हैदराबाद में 12 सप्ताह की ट्रेनिंग दिलाई गई ।

आर0आई0ई0 चण्डीगढ़ में इंगलिश अध्यापकों को भी 4 मास की ट्रेनिंग दिलाई गई ।

भाषा नीति तथा भाषाई अल्प संख्यक

हरियाणा एक भाषाई राज्य है और इसकी भाषा हिन्दी है । यह भाषा पहली श्रेणी से ही सभी विद्यार्थी अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं । उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर भी हिन्दी शिक्षा का माध्यम है । विद्यालयों में अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है । यह छठी कक्षा से आरम्भ की जाती है । तीसरी भाषा में पंजाबी, संस्कृत तथा उर्दू के अतिरिक्त तेलगू की शिक्षा की सुविधा भी 34 विद्यालयों में उपलब्ध है । सातवीं और आठवी श्रेणियों में पंजाबी उर्दू, संस्कृत तथा तेलगू भाषा में से विद्यार्थी किसी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रूप में कर सकते है ।

हरियाणा में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये उन्हें अपनी भाषा का अध्ययन करने की विशेष सुविधा उपलब्ध है । यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 या स्कूल में 40 से अधिक विद्यार्थी हों जो अल्प संख्यक से सम्बन्ध रखते हों तो वे अपनी भाषा को पढ़ सकते हैं । ऐसे विद्यार्थियों के लिये सरकार ने 19 सरकारीय विद्यालयों में जिनमें हरियाणा बनने के समय शिक्षा का माध्यम पंजाबी

था, पंजाबी माध्यम को आगे भी जारी रखने के लिये विशेष अनुमति दे रखी है। भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधा देने तथा सरकार को इस सम्बन्ध में सलाह मशविरा देने हेतु एक उच्च स्तरीय अल्प भाषाई शिक्षा समिति का गठन भी किया हुआ है।

7.3 स्कूल क्रीड़ा

खेलकूद को राज्य शिक्षा संस्थाओं की शिक्षा पद्धति में उचित स्थान प्राप्त है। प्रायः खेलों पर व्यय शिक्षा संस्थाओं की मिश्रित निधि में से किया जाता है। वर्ष 1985-86 में हरियाणा राज्य के स्कूल विद्यार्थियों के लिए भी सभी 16 खेलों की प्रतियोगिताएं राई, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल भिवानी तथा हिसार में करवाई गई। मिडल कक्षा के खिलाड़ियों के खेलों का आयोजन कुरुक्षेत्र तथा प्राथमिक कक्षा के खिलाड़ियों के लिए सोनीपत में किया गया।

राष्ट्रीय स्तर पर की गई सभी खेल प्रतियोगिताओं में हरियाणा राज्य के चुने हुए खिलाड़ियों को भाग लेने के लिए श्रीनगर, दिल्ली, अमरावती (महाराष्ट्र) और गांधी नगर (गुजरात) में भेजा गया। कुल मिला कर 481 लड़के तथा लड़कियों को राज्य स्तर पर विद्यालयों की टीमों का प्रतिनिधित्व करने के लिये भेजा गया। इन खेलों में राज्य खिलाड़ियों/टीमों ने कुल मिला कर 81 पदक जीते।

7.4 रैड क्रास

रैडक्रास संस्था समाज में रोगियों, अंगहीनों, घायलों और निर्धनों की सहायता में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को छात्रों में लोकप्रिय बनाने के लिए राज्य में जिला स्तर पर जूनियर रैडक्रास संस्था में जिला शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता में स्थापित की गई है। शिक्षा संस्थाओं के रैडक्रास फण्ड से आवश्यकता ग्रस्त बच्चों को पुस्तकें, वर्दियां के खरीदने या चिकित्सा के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में एकत्रित रैडक्रास

फण्ड की राशि में से कुछ प्रतिशत भाग साकेत और अगहीन बच्चो तथा व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु हर वर्ष दिया जाता है ।

7.5. भाषा कक्ष

शिक्षा विभाग मे एक भाषा कक्ष स्थापित है । यह कक्ष हरियाणा राज्य के विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों आदि से प्राप्त प्रशासनिक सामग्री का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का कार्य करता है । जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण, वित्त मन्त्री का भाषण, बजट, विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रशासनिक रिपोर्टें वित्त सचिव का ज्ञापन, अधिसूचनाओं, सेवा नियमों तथा ज्ञापनों आदि का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का कार्य सम्मिलित है । वर्ष 1985–86 के दौरान 2834 मानक पृष्ठों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद किया तथा उस अनुवाद का पुनरीक्षण किया ।

7.6. राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

अध्यापक कल्याण योजना के अंतर्गत, उन अध्यापकों/अध्यापिकाओं और उनके आश्रितों को जो विपदा स्थिति में हों, आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षा दिवस पर झण्डा चन्दा के रूप में राशि एकत्रित की जाती है और राशि में से प्रतिष्ठानमृतक अध्यापकों के दाह संस्कार, सेवा निवृत्त अध्यापकों को उनकी लड़कियों की शादी पर तथा उनके लम्बे समय की बीमारी पर भी सहायता देता है । कार्यरत अध्यापकों को उनकी बीमारी तथा उनके बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिये भी सहायता देता है । वर्ष 1985–86 में इस योजना के अन्तर्गत 580571 रुपये की सहायता दी गई ।

7.7. अध्यापक पुरस्कार

वर्ष 1988–86 में हरियाणा राज्य के दो प्राइमरी तथा दो सैकण्डरी शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया । प्राइमरी शिक्षकों के नाम हैं । (1) श्री दयानन्द (2) श्री सूरजभान और सैकण्डरी शिक्षको के नाम है (1) श्री सुरेन्द्र [illegible] (2) श्री सी0एन0 गोयल ।

7.7. अध्यापक खेल समारोह

राज्य में प्रति वर्ष विद्यालयों के अध्यापकों के लिए खेलों का आयोजन किया जाता है। इस खेल समारोह में केवल विद्यालयों के अध्यापक ही भाग लेते हैं। वर्ष 1985-86 के तृतीय खेल समारोह का आयोजन दिनांक 2-9-85 से 5-9-85 तक फरीदाबाद में किया गया। प्रतिभागी शिक्षकों को राज्यपाल महोदय द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

7.9 हरियाणा साहित्य अकादमी

राज्य सरकार द्वारा हरियाणा साहित्य अकादमी का एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में गठन किया हुआ है। यह संस्था राज्य में साहित्य के स्तर को उन्नत करती है, सभी भाषाओं की साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित और सांस्कृतिक परम्पराओं में अनुसंधान को बढ़ावा देती है तथा (दूसरा) हिन्दी भाषा में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने के लिए मार्गदर्शन और नीति निर्धारित करती है। इसलिए अकादमी को दो भागों में बांटा हुआ है। साहित्य अकादमी प्रभाग और ग्रंथ अकादमी प्रभाग।

साहित्य विकास प्रभाग

रिपोर्टाधीन अवधि में हरियाणवी हिन्दी शब्द कोष और दो निबन्ध महाकवि सूरदास और उनका काव्य तथा हरियाणा का संत साहित्य प्रकाशित करवाये। हरियाणा का इतिहास पुस्तक का लेखन कार्य जारी रहा तथा एक शोध निबन्ध मुद्रण के लिये भेजा गया। हरियाणा में लेखकों के हिन्दी, उर्दू तथा पंजाबी कहानियां, कविताओं, एकांकियां और निबन्धों को प्रकाशित करवाया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि में कहानियों का चार (हिन्दी कहानी संकलन) सरस्वती कहे दो पंजाबी कहानी संकलन) मोहन वतन इकबाल (उर्दू) अनुभव का आकाशा (हिन्दी निबन्ध) और एक पंजाबी और उर्दू कहानी संकलन प्रकाशित करवाये गये और हिन्दी कविता संकलन, हिन्दी कहानी संकलन और पंजाबी कविता संकलन के सम्पादन का कार्य हाथ में लिया। अकादमी द्वारा राज्य में साहित्य वातावरण

पैदा करने के लिए तथा लेखकों एवं आलोचकों को एक मंच पर एकत्रित करने के लिये हिन्दी, हरियाणवी, संस्कृत, उर्दू तथा पंजाबी लेखक गोष्ठियाँ तथा अन्य उत्सवों का आयोजन किया जाता है । वर्ष 1985-86 में ऐसे 11 साहित्य उत्सवों का आयोजन किया गया । स्वयं सेवी साहित्य संस्थाओं को 14 साहित्यिक उत्सवों के आयोजनार्थ 22687 रुपये की राशि की सहायता दी गई । हरियाणा के लेखकों को उनकी अप्रकाशित पुस्तकों के के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है । इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्रत्येक पुस्तक के लिये प्रकाशन के अनंतर 2000 रुपये या प्रकाशन व्यय का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, के बराबर राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 27 पुस्तकें प्रकाशित हुई तथा इनके लेखकों को 52-6-46 रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी गई । राज्य के लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिये हिन्दी 'हरियाणवी' उर्दू, पंजाबी तथा संस्कृत में पुस्तक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है तथा विभिन्न विधाओं के अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ पाई जाने वाली पुस्तकों के लेखकों को 1500 रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 14 पुस्तकों के लेखकों को 19500 रुपये के पुरस्कार दिये गये । हिन्दी कहानी प्रतियोगिता के अन्तर्गत 3 विजेताओं को 1200 रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी गई । रंगमंच को बढ़ावा देने के लिये मण्डल स्तरीय हिन्दी, नाटक मंचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा हरियाणा साहित्य अकादमी जर्नल आफ इण्डोलोजिकल स्टडीज नाम से एक शोध पत्रिका प्रकाशित करवायी जा रही है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान यह पत्रिका मुद्रणाधीन रही । राज्य के अभावग्रस्त लेखकों को 9500 रुपये की राशि सहायतानुदान के रूप में दी गई । अकादमी द्वारा हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी तथा हरियाणा साहित्य के साहित्यकारों का सम्मानित किया जाता है । जिसके अन्तर्गत प्रत्येक सम्मानित साहित्यकार को 3100 रुपये की राशि खलरीया तथा एक सरस्वती की प्रतिमा भेंट की जाती है । वर्ष 1985-86 के दौरान अकादमी द्वारा हरिगंधा नाम से एक साहित्य पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया गया । वर्ष 1985-86 के दौरान इस पत्रिका के पहले दो अंक प्रकाशित किये गये ।

वर्ष 1985–86 के दौरान 7 पुस्तकों के प्रथम संस्करण तथा 8 पुस्तकों के द्वितीय संस्करण/तृतीय संस्करण/चतुर्थ संस्करण प्रकाशित किये गये। इस योजना के अन्तरगत प्रकाशित पुस्तकों के प्रचार तथा प्रसार के लिए वर्ष 1985–86 के दौरान तीन पुस्तक प्रदर्शनियां लगायी गई तथा सातवीं विश्व पुस्तक मेले में भी स्टाल लगाया गया। रिपोर्टाधीन अवधि में 416618 रुपये के ग्रास मूल्य की पुस्तकें बेची गई।

7.10. कम्प्यूटर लिटरेसी

वर्ष 1985–86 में भारत सरकार द्वारा कम्प्यूटर लिटरेसी के अन्तर्गत 10 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लगवाये गये तथा इन विद्यालयों के 3–3 प्राध्यापकों को कम्प्यूटर लिटरेसी में प्रशिक्षण दिलवाया गया और इस परियोजना की सामग्री उपलब्ध करवाई गई।

7.11. नई शिक्षा नीति

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय भारत सरकार से प्राप्त हिदायतों के अनुसार नई शिक्षा प्रणाली बारे वर्ष 1985–86 में ब्लाक, उप मण्डल तथा जिला स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था। यही नहीं राज्य-स्तरीय संगोष्ठियों जिनमें शिक्षा शास्त्री, वकील, विद्यालय तथा अन्य क्षेत्र के व्यक्ति शामिल थे, का भी आयोजन किया गया। क्षेत्रीय, स्तरीय एवं राज्य स्तर पर आयोजित संगोष्ठियों की सिफारिशों को मानव संसाधन विकास मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को भेजे गये थे।

7.12. हरिजन छात्रों को मुफ्त वर्दियां देना

लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हरिजन छात्राओं को मुफ्त वर्दियां प्रदान की जाती हैं। वर्ष 1985–86 में पहली से ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ रही हरिजन छात्राओं को 50 रुपये प्रति छात्रा की दर से मुफ्त वर्दी उपलब्ध कराने हेतु 70.25 लाख रुपये की राशि का कपड़ा खरीदा गया।

बुक बैंकों की स्थापना

राज्य में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करने हेतु बुक बैंकों की स्थापना की हुई है। वर्ष 1985-86 में सरकार ने बुक बैंकों के लिए 15 लाख रुपये की राशि प्लान साईड पर और 22.50 लाख रुपये की राशि नान प्लान पर स्वीकृत की गई। इस राशि में से 27 लाख रुपये की राशि से पहली से पांचवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकें तथा 10.50 लाख रुपये से छठी से ग्यारहवीं कक्षा तक की पाठ्य पुस्तकें खरीदी गई। इन बुक बैंकों से वर्ष 1985-86 में लाभान्वित छात्रों की संख्या चार लाख है।

7.14. पाठ्य पुस्तकें

पाठ्य पुस्तकों की कमी बारे प्राप्त शिकायतों का अध्ययन करके नई वितरण प्रणाली लागू करवाई गई जिससे अब सभी विद्यालयों के मुख्याध्यापक प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग के अधीन कार्यरत राजकीय बिक्री भण्डारों से सीधे प्राप्त कर सकते हैं और इस खरीद पर विद्यालयों को भी 10 प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। कुल पुस्तक संख्या का 60 प्रतिशत विद्यालयों को और 10 प्रतिशत बुक सैलर्स को दिया जाता है।

NIEPA DC
D04500

18500--D.P.I.--H.G.P., Chd

Sub. National Systems Unit
National Institute of Educational
Planning and Administration
Doc. No. D-4500
Date 16-7-88